



Ref. No.: KGMU/VC/ 250 /2023

Date: January 10, 2024



Circular

प्रायः ऐसा पाया गया है कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में बिना किसी पूर्वानुमति के विभिन्न कार्यक्रम, समारोह, आयोजन इत्यादि से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर आदि परिसर में जगह-जगह दीवारों पर चस्पा कर दिये जाते हैं, जो कि काफी समय तक दीवार पर चस्पा रहते हैं जिसके कैम्पस की दीवारें क्षतिग्रस्त होती हैं। उक्त के कारण चिकित्सा सेवाओं एवं स्थान को सूचित करने वाले महत्वपूर्ण साइनेजेस, सूचना पट्ट व पोस्टर ढक जाते हैं, जिसके कारण चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में इलाज हेतु आने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों को असुविधा उत्पन्न होती है।

उक्त के क्रम में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में बिना पूर्वानुमति के किसी भी कार्यक्रम, समारोह इत्यादि से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर लगाया जाना प्रतिबन्धित (निषेध) किया जाता है। यदि कार्यक्रम, समारोह में पोस्टर, बैनर लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कुलानुशासक, के०जी०एम०यू० की सहमति उपरान्त ही किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम, समारोह इत्यादि से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम के समापन के उपरान्त दीवारों से पोस्टर, बैनर हटवाये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

S. Nityanand
(प्रो० सोनिया नित्यानंद)
कुलपति
प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त संकाय सदस्य, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
2. समस्त अधिष्ठाता संकाय/दन्त संकाय/पैरामेडिकल संकाय/नर्सिंग संकाय/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
4. कुलानुशासक, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
5. कर्मचारी परिषद, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
6. कुलसचिव, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
8. आदेश पुरस्तिका।